यू0ओ0नोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू–आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री भवानी सिंह शेखावत पुत्र श्री जसवंत सिंह शेखावत, अपंजीकृत इकरारनामा (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना गोपी नगर)	23–ए	83.3
2	श्री मयंक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल (हथरोईगढी गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना ..स्कार विहार–ए)	2 पश्चिमी हिस्सा	101.97
3	श्री मदन लाल ओला पुत्र जोधाराम ओला (बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना श्री विनायक विहार)	7	161.10
4	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी री ओम प्रकाश शर्मा (अमृतपुरी विकास गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना कैलाश विहार)	35	111.11
5	श्री मनीष सिंह पुत्र श्री मान सिंह (म्युचुअल हा0को0सो. लि. जयपुर की योजना महादेव नगर)	16 दक्षिणी हिस्सा	133.33
6	श्री भंवर सिंह हाडा पुत्र श्री किशोर सिंह हाडा (रामराजपुरा गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना जनक विहार)	168–ए	183

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के कम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त, पीआरएन,(उत्तर–I
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

....

क्रमांक जविप्रा/उपा/पीआरएन/उत्तर–I/2022/डी– 661
दिनांकः– 07/06/22

PRO/R-592
9/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1557 दिनांक 08/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिड़की/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक कमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
106700	ग्राम पालडी परसा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 451, 452, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 626, 651, 647/1034 क्षेत्रफल 6800 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 724 दिनांक 22.2.2007 के द्वारा श्री रामप्रकाश पुत्र श्री कानाराम को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–329 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर	श्री संदीप कुमार वर्मा, श्री मनीष कुमार वर्मा पुत्रान स्व. श्री राम प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश	मूल आरक्षण पत्र गुम होने, मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण व लीजडीड जारी करने बाबत
106702, 106706, 106707, 106708	ग्राम पालडी परसा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 931, 932, 941 क्षेत्रफल 2533 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 28 दिनांक 23.11.2007 के द्वारा श्री रामप्रकाश पुत्र श्री कानाराम को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1936 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर, भूखण्ड संख्या 1585–सी क्षेत्रफल 307.65 वर्गमीटर, भूखण्ड संख्या 544 क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर, व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–27 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर	श्री संदीप कुमार वर्मा, श्री मनीष कुमार वर्मा पुत्रान स्व. श्री राम प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश	

PRO/D-593 9/6/22

s/-
उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11 ज.वि.प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी– 1558 दिनांक 08/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की रोज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिड़की/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपनी आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

आरक्षण पत्र का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
ग्राम कलवाड़ा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 119, 120, 128 क्षेत्रफल 2816 वर्गमीटर के बदले देय आवासीय 563 वर्गमीटर व व्यावसायिक 141 वर्गमीटर कुल 704 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 03 दिनांक 12.11.2008 के द्वारा श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री धर्मदेव को जारी किया गया था।	आवासीय 563 वर्गमीटर व व्यावसायिक 141 वर्गमीटर कुल 704 वर्गमीटर	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री सुरेश चंद शर्मा	उपहार पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण पत्र जारी किये जाने के क्रम में

उपायुक्त जोन 11
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन 11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/D-594
8/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी–2552 दिनांक 9/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज / आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम / पता	समिति का नाम / निजी खातेदारी / जविप्रा	योजना का नाम
1.	बी–286	श्री शेखर	जविप्रा	बक्सावाला

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO-D-595
9/5/22

Scanned with CamScanner

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी– 2551 दिनांक 8/6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1	14/OE/171	300.00 व.मी.	श्री रामचरण चौधरी पुत्र स्व. श्री रामकरण एंव श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री श्योराम	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14
उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

PRO-D-596 9/6/22

उपायुक्त जोन-14
ज.वि.प्रा. जयपुर
उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक :– 08-06-2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( )जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 1562   दिनांक 09/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की रोज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्री रतनलाल सोगानी पुत्र स्व. श्री मदन लाल सोगानी	ग्राम टीलावास के आवासीय भूखण्ड संख्या 1225 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर एवं ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 447 क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर	श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतन लाल सोमानी	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण व लीजडीड जारी करने बाबत

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-597
9/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक :– 08-06-2022

कमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी– 1767

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स.–1, 2 व 3	निजी खातेदारी की योजना सीताबाडी	श्री राकेश पुत्र श्री धडसीराम जांगिड व संजय सालोदिया पुत्र श्री सतीश कुमार	श्री राकेश पुत्र श्री धडसीराम जांगिड व संजय सालोदिया पुत्र श्री सतीश कुमार	अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर भूगि क्रय।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1132 दिनांक 8/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री राजन कुमार राजोरिया पुत्र श्री कजोड़ मल राजोरिया द्वारा भूखण्ड संख्या एफ- 271 योजना वैषाली नगर का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा श्री कजोड़मल राजोरिया एवं श्रीमती कलावती देवी को जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा श्री कजोड़ राजोरिया एवं श्रीमती कलावती देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO.R-604
9/6/22

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

D-1124 दिनांक- 8/6/2022

प्रस्तावित उपान्तरण

प्रार्थीगण डॉ अंजना शर्मा पत्नी श्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा एवं डॉ अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री जे.आर. शर्मा के पक्ष में भूखण्ड संख्या बी–1/23, सी–1/27, सी–1/28, सी–1/29, सी–1/30 एवं सी–1/31 के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की योजना चित्रकूट का पट्टा/हस्तान्तरण पत्र जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम– 2021 के बिन्दु संख्या – 2 के उपबिन्दु संख्या iv के कम में भू– उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/ जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर– 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर – भूखण्ड संख्या बी–1/32, उत्तर की ओर– 30 मीटर चौड़ी सड़क तथा दक्षिण की ओर– 9 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू– उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

PRO-R-602 9/6/22

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 8.6.2022 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1142 दिनांक 8/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या बी- 86 योजना वैशाली नगर का नाम हस्तान्तरण हेतु प्रार्थी श्री बजरंग सिंह द्वारा आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का आवंटन कैप्टन रणवीर यादव को किया गया था। तत्पश्चात आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से प्रकाष चन्द पारूथी को आवंटन किया गया। इसके पश्चात श्री प्रकाष चन्द पारूथी द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा 21.03.1998 के माध्यम से श्री बजरंग सिंह को किया गया है। मूल आवंटन गुम होने के संबंध में प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन एफ.आई.आर. की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO-R-603
9/6/22

Sd/-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/101886 दिनांक : 07/06/2022

लोक सूचना

श्री सालासर बालाजी हाउसिंग एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुभाष कुमार टेलर पंजीकृत कार्यालय ए 7, श्याम नगर नीयर नाडी का फाटक बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3बी** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	विजयपुरावास नानुसार, जयपुर (जयपुर)	श्री सालासर बालाजी हाउसिंग एलएलपी पंजीकृत कार्यालय ए 7, श्याम नगर नीयर नाडी का फाटक बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर	323 / 204	1.9421
		कुल किता	**1**	**1.9421 हैक्टयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-06-2022 को जारी की गयी।.

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101893 दिनांकः 08/06/2022

लोक सूचना

श्री **ARUN SINGHVI** पुत्र श्री **SHANTI KUMAR SINGHIVI** जाति **MAHAJAN** निवासी **3 YAMUNA PATH, SURAJ NAGAR WEST CIVIL LINES JAIPUR**

श्री **SHASHI SINGHVI** पत्नी श्री **ARUN KUMAR SINGHIVI** जाति **MAHAJAN** निवासी **3 YAMUNA PATH, SURAJ NAGAR WEST CIVIL LINES JAIPUR**

श्री **AKANKSHA SINGHVI** पुत्री श्री **ARUN SINGHVI** जाति **MAHAJAN** निवासी **3 YAMUNA PATH, SURAJ NAGAR WEST CIVIL LINES JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वेयर हाउसिंग प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	NABALIK KUMARI AKANKSHA SINGHVI D/O ARUN KUMAR SINNGHVI SANRAKHAK SARPRST PITA ARUN KUMAR	551	2200	0.22
2.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	NABALIK KUMARI AKANKSHA SINGHVI D/O ARUN KUMAR SINNGHVI SANRAKHAK SARPRST PITA ARUN KUMAR	553	700	0.07
3.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	521	7700	0.77
4.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI	545	10500	1.05

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

		HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI			
5.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	546	24000	2.4
6.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	547	11100	1.11
7.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	548	100	0.01
8.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	549	300	0.03
9.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR	550	12500	1.25

Scanned with CamScanner

		SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI			
10.	महेशपुरा, आमेर (जयपुर)	ARUN KUMAR SINGHVI S/O SHANTI KUMAR SINGHVI 1/2 ARUN KUMAR SINGHVI HINDU AVIBHAKT PARIWAR JARIY KARTA ARUN KUMAR SINGHVI 3/14 AND SHASHI SINGHVI W/O ARUN KUMAR SINGHVI	552	9500	0.95
				कुल	**7.86**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **08-06-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 8/6/2022

संख्या 1141

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री महावीर स्वामी गृ0नि0स0समिति** की योजना **अरिहन्त वाटिका** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम धावास तहसील जयपुर	202	कुल रकबा 0.6576 हैक्टयर	छीतर पुत्र चतरू हिस्सा 1/24 देवकरण पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/6 ब्रदी पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 रामबाबू पुत्र चतरू हिस्सा 1/24 लखमा पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 शिवसहाय पुत्र चतरू हिस्सा 1/24 सत्यनारायण पुत्र चतरू हिस्सा 1/24 हनुमान पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 हरनाल पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/6 हीरालाल पुत्र हिस्सा 1/8 जाति हरियाणा ब्रहाम्ण
	203	कुल रकबा 0.5691 हैक्टयर	गोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/10 देवनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 नारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 पन्नालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12 प्रमानन्द पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 मूली पत्नी लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामकिशोर पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामस्वरूप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 रामसहाय पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12
	205	कुल रकबा 0.1644 हैक्टयर	गोपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 देवनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 नारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 पन्नलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12 प्रमानन्द पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 बाबू लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12 मूली पत्नी लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामकिशोर पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामस्वरूप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12
	206	कुल रकबा 0.4806 हैक्टयर	छीतर पुत्र चतुर हिस्सा 1/24 देवकरण पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/6 बद्री पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 रामबाबु पुत्र चतुर हिस्सा 1/2 लखमा पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 शिवसहाय पुत्र चतुर हिस्सा 1/24 सत्य नारायण पुत्र चतुर हिस्सा 1/24 हनुमान पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8 हरनाथ पुत्र नृसिंह हिस्सा 1/6 हीरालाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/8

PRO/R-597
9.6.22

उपायुक्त जोन–7

Scanned with CamScanner

	207	कुल रकबा 0.4300 हैक्टयर	गेपाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 देवनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 नारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 पन्नालाल पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 प्रमानन्द पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 बाबूलाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 मूली पत्नी लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12 रामकिशो पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/12 रामस्वरूप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/10 रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/12
	209	कुल रकबा 0.2150 हैक्टयर	सरजू देवी पति प्रमानन्द हिस्सा 1/80 मूली पति स्व. लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 देवनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/20 नारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/20 रामस्वरूप पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/20 रामकिशोर पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 नानुराम पुत्र प्रमान्दन हिस्सा 1/80 पन्नालाय पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 रामसहाय पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 बाबुलाल पुत्र लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/24 हनुमान पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/16 लखमा पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/16 हीरालाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/16 बद्री पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/16
	210	कुल रकबा 0.0506 हैक्टयर	हनुमान पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/4 मूली पत्नी लक्ष्मी नारायण हिस्सा 1/14 नृसिंह पुत्र इसर हिस्सा 1/4 परमानन्द पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8 रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/24 पन्नालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/24 रामसहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/24 रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/24 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/24 देवनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8

खसरा नम्बर 203 व 210 की नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 15(3) के अन्तर्गत कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में खातेदार द्वारा आवेदन नहीं करने पर वह मौके पर आबादी विस्तार होने से सुओ मोटो 90'ए'(8) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपतियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 8/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-597
9.6.22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner